



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01062026-273024
CG-DL-W-01062026-273024

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मई 10—मई 16, 2026, शनिवार/वैशाख 20—वैशाख 26, 1948
No. 6] NEW DELHI, MAY 10—MAY 16, 2026, SATURDAY/VAISAKHA 20—VAISAKHA 26, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2026

आ.अ. 5.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 2 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक 16.01.2024 पत्र सं0 F. 3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री मसरा राम जो 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री मसरा राम को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./141/2023/ सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 10 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री मसरा राम को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर से दिनांक 22.11.2024 के पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु /व्यय मो0/2024/3050 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री मसरा राम को दिनांक 12.11.2024 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर ने पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु /व्यय मो0/2024/3054 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री मसरा राम ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री मसरा राम ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मसरा राम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री मसरा राम**, निवासी **सनवाडा**, **तहसील-आहोर**, **जिला जालोर**, **राजस्थान**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/राज.-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2026

O.N. 5.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **141-Ahore** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **141-Ahore** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **2nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jalore** report dated **09.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp. /433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Masara Ram** a contesting candidate from **141-Ahore** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jalore** a Show-Cause notice No. **76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I**, dated **10th July, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Masara Ram** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Masara Ram** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jalore** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** vide his letter no. P. (1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3050 dated 22.11.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Masara Ram**, on dated 12.11.2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** in his Supplementary Report, vide its letter no. P. (1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3054 dated 16.12.2024 has reported that **Sh. Masara Ram** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Masara Ram** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Masara Ram** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Masara Ram**, residence of **Sanvara, Tehsil-Ahore, District-Jalore, Rajasthan**, a contesting candidate from **141-Ahore Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2026

आ.अ. 6.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 2 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **16.01.2024** पत्र सं0 F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री भूदरमल जो **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री भूदरमल को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./141/2023/ सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: **10 जुलाई, 2024** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री भूदरमल को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर से दिनांक 22.11.2024 के पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु /व्यय मो0/2024/3050 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री भूदरमल को दिनांक **20.11.2024** को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर ने पत्र सं0- प0 (1) (1) विसं0/व्यय मो0/2024/3054 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री भूदरमल ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री भूदरमल ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भूदरमल अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री भूदरमल, निवासी मेघवालो का वास माण्डवला, तहसील व जिला-जालोर, राजस्थान, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/राज.-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2026

O.N. 6.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **141-Ahore** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **141-Ahore** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on 3rd **December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd **January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jalore** report dated **09.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp. /433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Bhudar Mal** a contesting candidate from **141-Ahore** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jalore** a Show-Cause notice No. **76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I**, dated **10th July, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bhudar Mal** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Bhudar Mal** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jalore** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** vide his letter no. P. (1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3050 dated 22.11.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Bhudar Mal**, on dated 20.11.2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** in his Supplementary Report, vide its letter no. P. (1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3054 dated 16.12.2024 has reported that **Sh. Bhudar Mal** as not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Bhudar Mal** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Bhudar Mal** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhudar Mal**, residence of **Meghwala ka Vas Mandwala, Tehsil & District-Jalore, Rajasthan**, a contesting candidate from **141-Ahore Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2026

आ.अ. 7.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 2 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **16.01.2024** पत्र सं0 **F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री **सूरज राठौड़** जो **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सूरज राठौड़ को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./141/2023/ सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 10 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री सूरज राठौड़ को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर से दिनांक 22.11.2024 के पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु /व्यय मो0/2024/3050 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री सूरज राठौड़ को दिनांक 19.11.2024 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर ने पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु /व्यय मो0/2024/3054 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सूरज राठौड़ ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री सूरज राठौड़ ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सूरज राठौड़ अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सूरज राठौड़, निवासी मेघवालो का वास, मालनाथ ढाणी, जालोर, राजस्थान, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/राज.-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2026

O.N. 7.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **141-Ahore** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **141-Ahore** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **2nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jalore** report dated **09.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Suraj Rathore** a contesting candidate from **141-Ahore** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jalore** a Show-Cause notice No. **76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I**, dated **10th July, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Suraj Rathore** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Suraj Rathore** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jalore** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** vide his letter no. P. (1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3050 dated 22.11.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Suraj Rathore**, on dated 19.11.2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** in his Supplementary Report, vide its letter no. P. (1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3054 dated 16.12.2024 has reported that **Sh. Suraj Rathore** as not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Suraj Rathore** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Suraj Rathore** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Suraj Rathore**, residence of **Meghwalo ka Vas, Malnath ki Dhani, Jalore, Rajasthan**, a contesting candidate from **141-Ahore Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

आ.अ. 8.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एमईजीएच/एलए-202 3 दिनांक जनवरी 31, 2023 के अनुसरण में **19-दक्षिण शिलांग** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेघालय विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, के अनुसार 78 की धारा 1951, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 30 निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन 77 अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, मेघालय के **19-दक्षिण शिलांग** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन ,2023 का परिणाम रिटर्निंग , मार्च 02 अधिकारी द्वारा, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख अप्रैल 01, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मेघालय से उनके दिनांक 18.03.2024 के पत्र सं. EL.77/2023/580, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी खासी हिल्स की दिनांक 28.03.2023 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह, जो मेघालय के 19-दक्षिण शिलांग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी खासी हिल्स की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/MG-LA/1/2023/सीईएमएस-I, दिनांक 01.10.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी खासी हिल्स जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मेघालय ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह को दिनांक 14.10.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी खासी हिल्स ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 08.12.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(क) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि त्रिपुरा के 19-दक्षिण शिलांग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री इयान एंड्रयू लिंगदोह नोंगकिनरिह, निवासी- असम क्लब लेन लबन, शिलांग-793004, जिला- पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/मेघा0-वि0स0/1/2023/सीईएमएस-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2026

O. N. 8.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Meghalaya, 2023 for **19-South Shillong (GEN)** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/MEGH-LA/2023(P), dated 31st January, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **19-South Shillong (GEN)** Assembly Constituency of Meghalaya, 2023 was declared by the Returning Officer on 2nd March, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 1st April, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 28.03.2023 of **DEO, East Khasi Hills** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Meghalaya** vide his letter No. EL.77/2023/580 dated 18.03.2024, **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih**, a contesting candidate from **19-South Shillong (GEN) Assembly Constituency** of Meghalaya, 2023 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/MG-LA/1/2023/CEMS-I, dated 1st October, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **East Khasi Hills**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Meghalaya, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih**, on dated **14.10.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **East Khasi Hills** in his Supplementary Report dated 08.12.2025 has reported that **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ian Andrew Lyngdoh Nongkynrih, R/o Assam Club Lane Laban, Shillong-793004, East Khasi Hills District, Meghalaya** and a contesting candidate from **19-South Shillong (GEN)** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Meghalaya, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/MG-LA/1/2023/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

आ.अ. 9.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/सिक्किम-वि०स०/2024 दिनांक 20 मार्च, 2024 के अनुसरण में **19-रेनोंक** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सिक्किम विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, सिक्किम के 19-रेनोंक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिक्किम से उनके दिनांक 12.07.2024 के पत्र सं. Elec734/2024/D-19/960, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पाकयोंग की दिनांक 03.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री कपिल प्रसाद सापकोटा, जो सिक्किम के 19-रेनोंक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पाकयोंग की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री कपिल प्रसाद सापकोटा को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/SKM-LA/19/2022/सीईएमएस-I, दिनांक 07.10.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री कपिल प्रसाद सापकोटा को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पाकयोंग जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिक्किम ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री कपिल प्रसाद सापकोटा को दिनांक 02.09.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पाकयोंग ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 21.11.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री कपिल प्रसाद सापकोटा ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री कपिल प्रसाद सापकोटा द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए दिया गया स्पष्टीकरण, असंतोषजनक पाया गया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कपिल प्रसाद सापकोटा अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि सिक्किम के 19-रेनॉक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री कपिल प्रसाद सापकोटा, निवासी- मामरिंग गुम्पा-पीडब्लू, मामरिंग स्कूल अम्बा जी0पी0यू0, अम्बा, जिला पाकयोंग, सिक्किम, पिन – 737133, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/सिकि0-वि0स0/19/2024/सीईएमएस-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th February, 2026

O.N. 9.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Sikkim, 2024 for **19-Rhenock** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/SKM-LA/2024, dated 20th March, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **19-Rhenock** Assembly Constituency of Sikkim, 2024 was declared by the Returning Officer on 2nd June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 03.07.2024 of **DEO, Pakyong** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Sikkim** vide his letter No.Elec734/2024/D-19/960 dated 12.07.2024, **Sh. Kapil Prasad Sapkota**, a contesting candidate from **19-Rhenock Assembly Constituency** of Sikkim, 2024 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/SKM-LA/19/2022/CEMS-I, dated 07th October, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Kapil Prasad Sapkota**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Kapil Prasad Sapkota**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **Pakyong**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Sikkim, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Kapil Prasad Sapkota**, on dated **02.09.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Pakyong** in his Supplementary Report dated 21.11.2025 has reported that **Sh. Kapil Prasad Sapkota**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, the representation submitted by **Sh. Kapil Prasad Sapkota** for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law has been found to be unsatisfactory; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sh. Kapil Prasad Sapkota**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Kapil Prasad Sapkota, R/o Mamring Gumpa-PW, Mamring School Amba GPU, Amba, District Pakyong, Sikkim-737133** and a contesting candidate from **19-Rhenock** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Sikkim, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/SKM-LA/19/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

आ.अ. 10.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.04.2024 की अधिसूचना सं0 आ.अ. 114(अ) के अनुसरण में हरियाणा राज्य के 2-कुरूक्षेत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 2-कुरूक्षेत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरूक्षेत्र की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.08.2024 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार इंजि. विशाल कुमार जो हरियाणा राज्य के 2-कुरूक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरूक्षेत्र की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत इंजि. विशाल कुमार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/लो.स./8/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 2 जनवरी, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार इंजि. विशाल कुमार को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरूक्षेत्र को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरूक्षेत्र से दिनांक 20.02.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/173 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से इंजि. विशाल कुमार की माता (श्रीमती प्रेम कुमारी) द्वारा दिनांक 18.01.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरूक्षेत्र ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/297 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि इंजि. विशाल कुमार ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, इंजि. विशाल कुमार ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **इंजि. विशाल कुमार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के **2-कुरुक्षेत्र** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **इंजि. विशाल कुमार**, मकान नं 11, मोती बाग, गोबिन्दपुरा, यमुनानगर, हरियाणा-**135001**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-लो.स./02/2024/सी.ई.एम.एस.-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2026

O.N. 10.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Haryana, 2024 for **2-Kurukshetra** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 114(E), dated 29th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **2-Kurukshetra** Parliamentary Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the **DEO, Kurukshetra's** report dated 30.07.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter No. 6/Elect-Exp./ GEL-2024/2AE-7497 dated 05.08.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Er. Vishal Kumar** a contesting candidate from **2-Kurukshetra** Parliamentary Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kurukshetra** a Show-Cause notice No. **76/HR-LS/2/2024/CEMS-I**, dated **2nd January, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Er. Vishal Kumar** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Er. Vishal Kumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kurukshetra** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kurukshetra** vide his letter no. Election-2025/173 dated 20.02.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Er. Vishal Kumar's Mother (name Smt. Prem Kumari)**, on dated 18.01.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kurukshetra** in his Supplementary Report, vide its letter no. Election-2025/297 dated 09.04.2025 has reported that **Er. Vishal Kumar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Er. Vishal Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Er. Vishal Kumar** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Er. Vishal Kumar, House No. 11, Moti Bagh, Gobindpura, Yamuna Nagar, Haryana-135001**, a contesting candidate for **2-Kurukshetra Parliamentary Constituency** of Haryana in General Election to Lok Sabha, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LS/2/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

आ.अ. 11.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **03-खड्डर साहिब** के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, पंजाब के **03-खड्डर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन की दिनांक 04.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री परमिंदर सिंह**, जो पंजाब के **03-खड्डर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री परमिंदर सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय

के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/3/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री परमिंदर सिंह को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री अमरितपाल कौर (श्री परमिंदर सिंह की पत्नी) को दिनांक 07.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 07.04.2025 के पत्र सं. Elec-2024/R-1601, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि श्री परमिंदर सिंह ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री परमिंदर सिंह द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री परमिंदर सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के **03-खड्डूर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री परमिंदर सिंह, निवासी- निरंकारी भवन के पास, समाधि रोड, जीरा इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./03/2024/सीईएमएस-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2026

O.N. 11.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPs/2024(7), dated 7th May, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.07.2024 of **DEO, Tarn Taran** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Sh. Sarabjit Singh**, a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/3/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sarabjit Singh**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sarabjit Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Tarn Taran** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Tarn Taran** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Smt. Jasbir Kaur (Mother of Sh. Sarabjit Singh)** on **21.11.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tarn Taran** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2026/R-1265, dated 17.02.2026 has reported that **Sh. Sarabjit Singh** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sarabjit Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sarabjit Singh** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sarabjit Singh**, resident of **Ward No. 8, Gaushala Road, Near Kaushal Farm, Zira** and a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/03/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

आ.अ. 12.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **03-खडूर साहिब** के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, पंजाब के **03-खड्डर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन की दिनांक 04.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सरबजीत सिंह**, जो पंजाब के **03-खड्डर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सरबजीत सिंह को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/3/2024/सीईएमएस-1, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री सरबजीत सिंह को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री जसबीर कौर (श्री सरबजीत सिंह की मां) को दिनांक 21.11.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 17.02.2026 के पत्र सं. Elec-2026/R-1265, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, तरन तारन की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि **श्री सरबजीत सिंह** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, **श्री सरबजीत सिंह** द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सरबजीत सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 03-खडूर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सरबजीत सिंह, निवासी- वार्ड नं. 8, गौशाला रोड, कौशल फार्म के पास, जीरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./03/2024/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2026

O.N. 12.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPS/2024(7), dated 7th May, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.07.2024 of **DEO, Tarn Taran** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Sh. Sarabjit Singh**, a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/3/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sarabjit Singh**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sarabjit Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Tarn Taran** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Tarn Taran** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Smt. Jasbir Kaur (Mother of Sh. Sarabjit Singh)** on 21.11.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Tarn Taran** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2026/R-1265, dated 17.02.2026 has reported that **Sh. Sarabjit Singh** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sarabjit Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sarabjit Singh** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sarabjit Singh**, resident of **Ward No. 8, Gaushala Road, Near Kaushal Farm, Zira** and a contesting candidate from **03- Khadoor Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/03/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2026

आ.अ. 13.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/त्रिप0-वि0स0/2023 दिनांक 21 जनवरी, 2023 के अनुसरण में **18-सूर्यमणिनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए त्रिपुरा विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, त्रिपुरा के 18-सूर्यमणिनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मार्च, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 अप्रैल, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा से उनके दिनांक 17.04.2023 के पत्र सं. F.19(60)/CEO/EEM/2023/189-90, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा की दिनांक 01.04.2023 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री बिप्लब मजूमदार, जो त्रिपुरा के 18-सूर्यमणिनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बिप्लब मजूमदार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/TP-LA/18/2023/सीईएमएस-I, दिनांक 25.09.2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री बिप्लब मजूमदार को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री बिप्लब मजूमदार को दिनांक 09.10.2023 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री बिप्लब मजूमदार ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री बिप्लब मजूमदार द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बिप्लब मजूमदार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि त्रिपुरा के 18-सूर्यमणिनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री बिप्लब मजूमदार, निवासी- अमताली भोलागिरी, डाकघर एवं थाना अमताली, जिला- पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, पिन – 799130, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/त्रिप0-वि0स0/18/2023/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2026

O.N. 13.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Tripura, 2023 for **18-Suryamaninagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/TP-LA/2023, dated 21st January, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **18-Suryamaninagar** Assembly Constituency of Tripura, 2023 was declared by the Returning Officer on 2nd March, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 1st April, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 01.04.2023 of **DEO, West Tripura** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Tripura** vide his letter

No. F. 19(60)/CEO/EEM/2023/189-90 dated 17.04.2023, **Sh. Biplab Majumder**, a contesting candidate from **18-Suryamaninagar Assembly Constituency** of Tripura, 2023 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/TP-LA/18/2023/CEMS-I**, dated **25th September, 2023** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Biplab Majumder**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Biplab Majumder**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **West Tripura**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Tripura, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Biplab Majumder**, on dated **09.10.2023**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **West Tripura** in his Supplementary Report dated 05.03.2025 has reported that **Sh. Biplab Majumder**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Biplab Majumder** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Biplab Majumder**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Biplab Majumder, R/o Amtali Bholagiri, PO & PS Amtali, District West Tripura, Tripura-799130** and a contesting candidate from **18-Suryamaninagar Assembly Constituency** in General Election to the Legislative Assembly of Tripura, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TP-LA/18/2023/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

आ. अ. 14.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(3) दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में असम के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **02-धुबरी** के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 02-धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 21.08.2024 के पत्र सं. ELE.64/2023/496, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की दिनांक 16.08.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री शुकुर अली, जो असम के 02-धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री शुकुर अली को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/अ.-लो.स./02/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 30.12.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री शुकुर अली को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री असफुल (श्री शुकुर अली के भाई) को दिनांक 15.01.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 20.09.2025 के पत्र सं. ELE.64/2023/Vol-I/19, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि श्री शुकुर अली ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री शुकुर अली द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शुकुर अली अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 02-धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री शुकुर अली, निवासी- गांव-

मदाती पहाड बस्ती पार्ट II, डाकघर- खोपति, थाना- काजीगांव, जिला-कोकराझार, असम, पिन – 783339, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/अ.-लो.स./02/2024/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2025

O.N. 14.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Assam, 2024, for **02- Dhubri** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(3)**, dated **12th April, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of Assam, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 16.08.2024 of **DEO, Dhubri** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.64/2023/496, dated 21.08.2024 stating that **Sh. Shukur Ali**, a contesting candidate from **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of state of Assam has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/AS-LS/02/2024/CEMS-I, dated 30th December, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Shukur Ali**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Shukur Ali** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Dhubri** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Dhubri** has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was served to **Sh. Ashaful (Brother of Shukur Ali)** on **15.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dhubri** in his Supplementary Report, received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.64/2023/Vol-I/19, dated 20.09.2025 has reported that **Sh. Shukur Ali** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Shukur Ali** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Shukur Ali** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Shukur Ali**, resident of **Vill- Madati Pahar Basti PT.II, P.O. Khopati, P.S. Kazigaon, Dist. Kokrajhar, Assam, Pin-783339** and a contesting candidate from **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of state of Assam, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LS/02/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

आ.अ. 15.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(3) दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में असम के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **02-धुबरी** के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के **02-धुबरी** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 21.08.2024 के पत्र सं. ELE.64/2023/496, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की दिनांक 16.08.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री अलकेश राँय**, जो असम के 02-धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री अलकेश राँय** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/अ.-लो.स./02/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 30.12.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अलकेश राँय** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री अलकेश राँय** को दिनांक 10.01.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 20.09.2025 के पत्र सं. ELE.64/2023/Vol-I/19, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि **श्री अलकेश राँय** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, **श्री अलकेश राँय** द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अलकेश रॉय अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 02-धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अलकेश रॉय, निवासी- गांव- उत्तर रायपुर पार्ट- II, डाकघर- मोटरझार, थाना- गोलकगंज, जिला-धुबरी, असम, पिन – 783334, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/अ.-लो.स./02/2024/सीईएमएस-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2025

O.N. 15.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Assam, 2024, for **02- Dhubri** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPs/2024(3)**, dated **12th April, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of Assam, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 16.08.2024 of **DEO, Dhubri** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.64/2023/496, dated 21.08.2024 stating that **Sh. Alakesh Roy**, a contesting candidate from **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of state of Assam has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/AS-LS/02/2024/CEMS-I, dated 30th December, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Alakesh Roy**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Alakesh Roy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Dhubri** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Dhubri** has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was served to **Sh. Alakesh Roy** on **10.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dhubri** in his Supplementary Report, received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.64/2023/Vol-I/19, dated 20.09.2025 has reported that **Sh. Alakesh Roy** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Alakesh Roy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Alakesh Roy** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Alakesh Roy**, resident of **Vill- Uttar Raipur Pt.II, P.O. Moterjhar, P.S. Golakganj, Dist. Dhubri, Assam, Pin-783334** and a contesting candidate from **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of state of Assam, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LS/02/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

आ.अ. 16.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(3) दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसार में असम के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **02-धुबरी** के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के **02-धुबरी** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 21.08.2024 के पत्र सं. ELE.64/2023/496, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की दिनांक 16.08.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **सुश्री राधारानी विश्वास**, जो असम के **02-धुबरी** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत सुश्री राधारानी विश्वास को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/अ.-लो.स./02/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 30.12.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, सुश्री राधारानी विश्वास को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री राधारानी विश्वास को दिनांक 13.01.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 20.09.2025 के पत्र सं. ELE.64/2023/Vol-I/19, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, धुबरी की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि सुश्री राधारानी विश्वास ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, सुश्री राधारानी विश्वास द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री राधारानी विश्वास अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 02-धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, सुश्री राधारानी विश्वास, निवासी- गांव- उत्तर टोकरेरचारा पार्ट- I, डाकघर- गोलकगंज, थाना- गोलकगंज, जिला-धुबरी, असम, पिन – 783334, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुनी जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/अ.-लो.स./02/2024/सीईएमएस-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2025

O.N. 16.— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Assam, 2024, for **02- Dhubri** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPs/2024(3)**, dated **12th April, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of Assam, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 16.08.2024 of **DEO, Dhubri** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.64/2023/496, dated 21.08.2024 stating that **Ms. Radharani Biswas**, a contesting candidate from **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of state of Assam has failed to lodge the account of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/AS-LS/02/2024/CEMS-I, dated 30th December, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ms. Radharani Biswas**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ms. Radharani Biswas** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of her election expenses with the District Election Officer, **Dhubri** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Dhubri** has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was served to **Ms. Radharani Biswas** on **13.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dhubri** in his Supplementary Report, received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.64/2023/Vol-I/19, dated 20.09.2025 has reported that **Ms. Radharani Biswas** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ms. Radharani Biswas** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Ms. Radharani Biswas** has failed to lodge the account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Radharani Biswas**, resident of **Vill- Uttar Tokrerchara Part-I, P.O. Golakganj, P.S. Golakganj, Dist. Dhubri, Assam, Pin-783334** and a contesting candidate from **02- Dhubri** Parliamentary Constituency of state of Assam, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LS/02/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

आ.अ. 17.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 06-आनंदपुर साहिब के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर की दिनांक 05.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री सतपाल, जो पंजाब के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सतपाल को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/06/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री सतपाल को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री सतपाल को दिनांक 03.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या Elec.2025/783, दिनांक 14.08.2025 के द्वारा सूचित किया है कि श्री सतपाल ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री सतपाल द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सतपाल अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के **06-आनंदपुर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री सतपाल**, निवासी- गांव- चनकोई, डाकघर-गुलपुर, तहसील-बालाचोर, जिला-एस. बी. एस नगर/ नवानशहर, पंजाब, पिन – 144521, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./06/2024/सीईएमएस-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2025

O.N. 17.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPs/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on **04th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report dated **05.07.2024** of **DEO, Rupnagar** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated **22.07.2024** stating that **Sh. Satpal**, a contesting candidate from **06-Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/PB-LS/06/2024/CEMS-I**, dated **31st January, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Satpal**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Satpal** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Rupnagar** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Rupnagar** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Satpal** on **03.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rupnagar** in his Supplementary Report no. Elec.2025/783; dated **14.08.2025** has reported that **Sh. Satpal** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Satpal** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Satpal** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Satpal**, resident of **Vill- Chankoi, P.O. Gulpur, Tehsil Balachaur, Dist. SBS Nagar/Nawanshahr, Punjab** and a contesting candidate from **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

आ.अ. 18.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 06-आनंदपुर साहिब के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर की दिनांक 05.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सुश्री किरण जैन, जो पंजाब के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत सुश्री किरण जैन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/06/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, सुश्री किरण जैन को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री किरण जैन को दिनांक 03.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या Elec.2025/783, दिनांक 14.08.2025 के द्वारा सूचित किया है कि सुश्री किरण जैन ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त, सुश्री किरण जैन द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि, सुश्री किरण जैन अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, सुश्री किरण जैन, निवासी- मकान सं. 376, गली नं. 21, सरपंच कालोनी, भागो माजरा, खारर, पंजाब, पिन – 140307, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./06/2024/सीईएमएस-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2025

O.N. 18.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPs/2024(7), dated 7th May, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 05.07.2024 of **DEO, Rupnagar** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Ms. Kiran Jain**, a contesting candidate from **06-Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ms. Kiran Jain**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ms. Kiran Jain** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of her election expenses with the District Election Officer, **Rupnagar** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Rupnagar** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Ms. Kiran Jain** on 03.02.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rupnagar** in his Supplementary Report no. Elec.2025/783; dated 14.08.2025 has reported that **Ms. Kiran Jain** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ms. Kiran Jain** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Ms. Kiran Jain** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Kiran Jain**, resident of **H.No. 376, Gali No. 21, Sarpanch Colony, Bhagoo Majra, Kharar** and a contesting candidate from **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

आ.अ. 19.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 07-लुधियाना के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की दिनांक 05.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान, जो पंजाब के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/07/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 06.02.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान को दिनांक 13.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 07.04.2025 के पत्र सं. Elec-2024/R-1601, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान द्वारा विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत - निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि, श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अमरितपाल सिंह छांद्रान, निवासी- मकान सं. 613, आजाद नगर, पटियाला, पंजाब, पिन – 147001, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./07/2024/सीईएमएस-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th November, 2025

O.N. 19.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on **04th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report dated **05.07.2024** of **DEO, Ludhiana** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated **22.07.2024** stating that **Sh. Amritpal Singh Chhandran**, a contesting candidate from **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/PB-LS/07/2024/CEMS-I**, dated **06th February, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Amritpal Singh Chhandran**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Amritpal Singh Chhandran** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Ludhiana** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Ludhiana** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Amritpal Singh Chhandran** on **13.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ludhiana** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2025/R-1601, dated **07.04.2025** has reported that **Sh. Amritpal Singh Chhandran** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Amritpal Singh Chhandran** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Amritpal Singh Chhandran** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Amritpal Singh Chhandran**, resident of **H.No. 613, Azad Nagar, Patiala, Punjab, Pin-147001** and a contesting candidate from **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/07/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

आ.अ. 20.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **07-लुधियाना** के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की दिनांक 04.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री चांदी, जो पंजाब के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री चांदी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/07/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 06.02.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री चांदी को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री चांदी को दिनांक 18.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 07.04.2025 के पत्र सं. Elec-2024/R-1601, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि श्री चांदी ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री चांदी द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चांदी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री चांदी, निवासी-मकान सं. 791, एल. आई. जी. फ्लैट, फेस-1, अर्बन एसटेट, डुगरी, लुधियाना, पंजाब, पिन – 141013, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./07/2024/सीईएमएस-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th November, 2025

O.N. 20.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPs/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on **04th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report dated **04.07.2024** of **DEO, Ludhiana** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated **22.07.2024** stating that **Sh. Chandi**, a contesting candidate from **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/PB-LS/07/2024/CEMS-I**, dated **06th February, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Chandi**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Chandi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Ludhiana** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Ludhiana** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Chandi** on **18.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ludhiana** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2025/R-1601, dated **07.04.2025** has reported that **Sh. Chandi** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Chandi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Chandhi** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chandhi**, resident of **H.No. 791, LIG Flats, Phase-I, Urban Estate, Dugri, Ludhiana, Punjab, Pin-141013** and a contesting candidate from **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/07/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

आ.अ. 21.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 07-लुधियाना के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की दिनांक 04.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला**, जो पंजाब के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/07/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 06.02.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को

स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला को दिनांक 11.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 07.04.2025 के पत्र सं. Elec-2024/R-1601, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, लुधियाना की अनुपूरक रिपोर्ट के द्वारा सूचित किया है कि श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 07-लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री रविंदर पाल सिंह बाबा जी बर्गर वाला, निवासी- मकान सं. 1202, एस. टी. नं. 10, गुरु अर्जन देव नगर, लुधियाना, पंजाब, पिन-141008, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/पंजा0.-लो.स./07/2024/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th November, 2025

O.N. 21.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPs/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 04.07.2024 of **DEO, Ludhiana** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala**, a contesting candidate from **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/07/2024/CEMS-I, dated 06th February, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Ludhiana** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Ludhiana** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala** on **11.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ludhiana** in his Supplementary Report, received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2025/R-1601, dated 07.04.2025 has reported that **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ravinder Pal Singh Baba Ji Barger Wala**, resident of **H.No. 1202, St. No. 10, Guru Arjan Dev Nagar, Ludhiana, Punjab, Pin-141008** and a contesting candidate from **07- Ludhiana** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LS/07/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

आ.अ. 22.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.04.2024 की अधिसूचना सं0 आ.अ. 114(अ) के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **10-फरीदाबाद** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 10-फरीदाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.08.2024 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री ज्ञान चन्द बैसला जो हरियाणा राज्य के 10-फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री ज्ञान चन्द बैसला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/लो.स./10/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री ज्ञान चन्द बैसला को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद से दिनांक 05.02.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/229 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री ज्ञान चन्द बैसला को दिनांक 04.01.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/663 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री ज्ञान चन्द बैसला ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री ज्ञान चन्द बैसला ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ज्ञान चन्द बैसला अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 10-फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ज्ञान चन्द बैसला, नजदीक सरकारी स्कूल, कामरावली, बढौली (149) बढौली, पलवल, हरियाणा-121102, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-लो.स./10/2024/सी.ई.एम.एस.-I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 21st November, 2025

O.N. 22.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Haryana, 2024 for **10-Faridabad** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 114(E), dated 29th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **10-Faridabad** Parliamentary Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Faridabad** dated 30.07.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497, dated 05.08.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Gyan Chand Bainsla** a contesting candidate from **10-Faridabad** Parliamentary Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Faridabad** a Show-Cause notice No. 76/HR-LS/10/2024/CEMS-I, dated **20th December, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Gyan Chand Bainsla** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Gyan Chand Bainsla** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Faridabad** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Faridabad** vide his letter no. Election-2025/229 dated 05.02.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Gyan Chand Bainsla** on 04.01.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Faridabad** in his Supplementary Report, vide its letter no. Election-2025/663 dated 07.04.2025 has reported that **Sh. Gyan Chand Bainsla** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Gyan Chand Bainsla** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Gyan Chand Bainsla** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Gyan Chand Bainsla, Near Sarkari School, Kamrawali, Barauli(149) Baroli, Palwal, Haryana-121102**, a contesting candidate for **10-Faridabad Parliamentary Constituency** of Haryana in General Election to Lok Sabha, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LS/10/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

आ.अ. 23.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.04.2024 की अधिसूचना सं0 आ.अ. 114(अ) के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **10-फरीदाबाद** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **10-फरीदाबाद** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **फरीदाबाद** की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.08.2024 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री राजेश गौतम** जो हरियाणा राज्य के **10-फरीदाबाद** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री राजेश गौतम** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/लो.स./10/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री राजेश गौतम** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **फरीदाबाद** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद से दिनांक 05.02.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/229 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री राजेश गौतम के भाई (श्री अशोक) को दिनांक 04.01.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/663 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राजेश गौतम ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, श्री राजेश गौतम ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेश गौतम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 10-फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजेश गौतम, मकान नं. 439, आजाद नगर, बल्लबगढ़, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-लो.स./10/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 21st November, 2025

O.N. 23.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Haryana, 2024 for **10-Faridabad** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 114(E), dated 29th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **10-Faridabad** Parliamentary Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Faridabad** dated 30.07.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 dated 05.08.2024, under sub-rule (1)

of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajesh Gautam** a contesting candidate from **10-Faridabad** Parliamentary Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Faridabad** a Show-Cause notice No. **76/HR-LS/10/2024/CEMS-I**, dated **20th December, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rajesh Gautam** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajesh Gautam** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Faridabad** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Faridabad** vide his letter no. Election-2025/229 dated 05.02.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Rajesh Gautam's brother (name Sh. Ashok)**, on 04.01.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Faridabad** in his Supplementary Report, vide its letter no. Election-2025/663 dated 07.04.2025 has reported that **Sh. Rajesh Gautam** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Rajesh Gautam** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rajesh Gautam** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rajesh Gautam, H.No.-439, Azad Nagar, Ballabgarh, Haryana**, a contesting candidate for **10-Faridabad Parliamentary Constituency** of Haryana in General Election to Lok Sabha, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LS/10/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

आ.अ. 24.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल 2023 के अनुसरण में 09-गोकाक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के 09- गोकक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 26.06.2023 के पत्र सं. DPAR 21 CHUVEBA (Addl CEO-1) 2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बेलगावी की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2023 के अनुसार, श्री जगदीश सी. के., जो कर्नाटक के 09- गोकक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेलगावी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री जगदीश सी. के. को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/02/2023/सीईएमएस-II, दिनांक 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री जगदीश सी. के. को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, बेलगावी जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेलगावी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक Chusa/Vichube/Viv-2023-24/01; दिनांक 22.09.2023 में यह रिपोर्ट किया है कि अभ्यर्थी निर्धारित पते पर नहीं पाए गए, अतः दिनांक 23.08.2023 को मकान मालिक को उक्त 'कारण बताओ नोटिस' तामील किया गया तथा निवास स्थान की दीवार पर भी नोटिस चिपकाया गया और एक पंचनामा भी तैयार किया गया;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेलगावी ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट, दिनांक 22.09.2023 व 28.11.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/21/Chuwebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 30.09.2023 व 16.12.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री जगदीश सी. के. ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री जगदीश सी. के. ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जगदीश सी. के. अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 09- गोकक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री जगदीश सी. के, निवासी- सी/ओ शिवपुर जक्कबल, मलादिनी-उप्पारत्ती, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/02/2023/सीईएमएस- II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th February, 2026

O.N. 24.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **09-Gokak** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 14.06.2023 of District Election officer, **Belagavi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Karnataka vide his letter no. DPAR 21 CHUVEBA (Addl CEO-1) 2023, dated 26.06.2023 stating that **Sh. Jagadeesh C. K.**, a contesting candidate from **09-Gokak** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Belagavi**, a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/02/2023/CEMS-II, dated 18th August, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Jagadeesh C. K.**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Jagadeesh C. K.** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Belagavi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Belagavi** in his report no. Chusha/Vichube/Viv- 2023-24/01; dated 22.09.2023 has reported that the candidate was not found at the address, hence the house owner received the said 'Show Cause Notice' and notice was also pasted on the wall of the residence and a Panchanama was prepared on **23.08.2023**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Belagavi** in his Supplementary Report dated 22.09.2023 and 28.11.2025, on account of the candidate received through CEO, Karnataka letter No. DPAR/21/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 30.09.2023 and 16.12.2025 has reported that **Sh. Jagadeesh C. K.** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Jagadeesh C. K.** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Jagadeesh C. K.** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Jagadeesh C. K.**, resident of **C/O Shivaputra Jakkabal, Maladinni-Upparatti** and a contesting candidate from **09-Gokak** Assembly Constituency of General election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/02/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

आ.अ. 25.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में **156- महालक्ष्मी लेआउट** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के **156- महालक्ष्मी लेआउट** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 28.06.2023 के पत्र सं. DPAR 26 CHUVEBA (Addl CEO-1) 2023 और एक पत्र दिनांक 23.08.2023 के पत्र सं. DPAR/26/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2023 और 22.08.2023 के अनुसार, **श्री अश्वथ (अशोक)**, जो कर्नाटक के **156- महालक्ष्मी लेआउट** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल को अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री अश्वथ (अशोक)** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे को अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/05/2023/सीईएमएस-II, दिनांक 05 सितम्बर 2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अश्वथ (अशोक)** को अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के

भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जिला ने अपनी रिपोर्ट सं. ELN(C)/PR/ /2023-24; दिनांक 17.11.2023 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सवित्रम्मा (श्री अश्वथ (अशोक) की माता) को दिनांक 20.09.2023 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. ELN(C)/PR/ /2023-24; दिनांक 17.11.2023 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/26/Chuwebha (Addl.CEO-1)2023 दिनांक 18.11.2023 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री अश्वथ (अशोक) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के अनुसार अपेक्षित रिति व समय से लेखा प्रस्तुत नहीं किया; और

यतः, उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक को एक पत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी श्री अश्वथ (अशोक) को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे को समय पर दाखिल न करने के संबंध में स्पष्टीकरण के साथसाथ जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखे को अप-ेक्षित रिति में दाखिल ना किए जाने के संबंध में अपनी टिप्पणियों सहित आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने अपनी अद्यतन अनुपूरक रिपोर्ट सं. AC/ELN/PR/719/2025-26; दिनांक 22.07.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/26/Chuwebha(Addl.CEO-1)2023 दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री अश्वथ (अशोक) ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस सं. 76/केटी-एलए/05/2023/सीईएमएस-II, दिनांक 05 सितम्बर 2023 मिलने के उपरांत श्री अश्वथ (अशोक) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रिति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि , श्री अश्वथ (अशोक) अपने निर्वाचन व्यय के लेखे को अपेक्षित रिति से दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 156- महालक्ष्मी लेआउट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में

निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, श्री अश्वथ (अशोक), निवासी- नंबर 93, चंद्रप्पा रोड, दीना सेवा स्कूल डाउन, कमला नगर बेंगलोर-560079, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

[फा. सं. 76/केटी-एलए/05/2023/सीईएमएस- II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th February, 2026

O.N. 25.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **156-Mahalakshmi Layout** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **156-Mahalakshmi Layout** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the reports dated 13.06.2023 & 22.08.2023 of District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, Karnataka vide his letter no. DPAR 26 CHUVEBA (Addl CEO-1) 2023; dated 28.06.2023 and another letter no. DPAR/26/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 23.08.2023 stating that **Sh. Aswatha (Ashok)**, a contesting candidate from **156-Mahalakshmi Layout** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said reports of the District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/05/2023/CEMS-II, dated 05th September, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Aswatha (Ashok)**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Aswatha (Ashok)** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** in his report no. ELN(C)/PR/ /2023-24; dated 17.11.2023 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Savitramma** (Mother of **Sh. Aswatha (Ashok)**) on **20.09.2023**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** in his Supplementary Report no. ELN(C)/PR/ /2023-24; dated 17.11.2023 on account of candidate received through the Chief Electoral Officer, Karnataka letter No. DPAR/26/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 18.11.2023 has reported that **Sh. Aswatha (Ashok)** has not submitted his account of election expense in the prescribed manner and time as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Conduct of Elections Rules, 1961; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike**, a letter dated 26th September, 2024 was issued by the Election Commission of India to Chief Electoral Officer, Karnataka to obtain explanation from the candidate **Sh. Aswatha (Ashok)** for not lodging of account within stipulated time through District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** along with his clear cut recommendation as to whether the account has been lodged in manner; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike** in his updated Supplementary Report vide no. AC/ELN/PR/719/2025-26; dated 22.07.2025 on account of the candidate received through the Chief Electoral Officer, Karnataka vide letter No. DPAR/26/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated

28.07.2025 has clarified again that **Sh. Aswatha (Ashok)** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the Commission's notice issued vide letter no.76/KT-LA/05/2023/CEMS-II; dated 05.09.2023, **Sh. Aswatha (Ashok)** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(c) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(d) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records with the District Election Officer concerned, the Commission is satisfied that **Sh. Aswatha (Ashok)** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Aswatha (Ashok)**, resident of **No. 93, Chandrappa Road, Deena Seva School Down, Kamala Nagara Bangalore-560079** and a contesting candidate from **156-Mahalakshmi Layout** Assembly Constituency of General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/05/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

आ.अ. 26.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. O.N. 92(E) दिनांक 28 मार्च, 2024 के अनुसरण में 10-त्रिस्सूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल का लोकसभा निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के 10-त्रिस्सूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक 31.07.2024 के पत्र सं. EL1/113/2024-ELEC के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, त्रिस्सूर की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 के अनुसार, श्री एम. एस. जाफरगान, जो कर्नाटक के 10-त्रिस्सूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, त्रिस्सूर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री एम. एस. जाफरगान को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-पीसी/2024/सीईएमएस-II, दिनांक 29 अगस्त, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री एम. एस. जाफरगान को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, त्रिस्सूर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, त्रिस्सूर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उनकी रिपोर्ट सं. EL1/113/2024-ELEC दिनांक 21.01.2025 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री एम. एस. जाफरगान को दिनांक 09.09.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, त्रिस्सूर ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05.10.2024 व 26.09.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल के पत्र सं. EL1/113/2024-ELEC दिनांक 21.01.2025 व 08.10.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री एम. एस. जाफरगान ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री एम. एस. जाफरगान ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री एम. एस. जाफरगान अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 10-त्रिस्सूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री एम. एस. जाफरगान, निवासी- मुन्नक्कपराम्बिल हाउस, पोंजनम पी ओ, कट्टूर, त्रिस्सूर, पिन-680702, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-पीसी/2024/ सीईएमएस- II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th November, 2025

O.N. 26.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Kerala, 2024 for **10-Thrissur** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 92(E), dated 28th March, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **10-Thrissur** Parliamentary Constituency of Kerala, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 05.07.2024 of District Election Officer, **Thrissur** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/113/2024-ELEC; dated 31.07.2024 stating that **Sh. M. S. Jafarghan**, a contesting candidate from **10-Thrissur** Parliamentary Constituency in General Election to Lok Sabha of Kerala, 2024, has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Thrissur** a Show-Cause Notice no. 76/KL-PC/2024/CEMS-II, dated 29th August, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. M. S. Jafarghan**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. M. S. Jafarghan** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Thrissur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Thrissur** through **Chief Electoral Officer, Kerala** in his report no. EL1/113/2024-ELEC; dated 21.01.2025 has reported that the said Show Cause Notice was Served to **Sh. M. S. Jafarghan** on **09.09.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Thrissur** in his Supplementary Report dated 05.10.2024 and 26.09.2025 on account of the candidate received through Chief Electoral Officer, Kerala letter no. EL1/113/2024-ELEC; dated 21.01.2025 and 08.10.2025 has reported that **Sh. M. S. Jafarghan** has not submitted any representation or statement of the account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. M. S. Jafarghan** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(e) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(f) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. M. S. Jafarghan** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. M. S. Jafarghan**, resident of **Munnakkaparambil House, Ponjanam P O, Kattoor, Thrissur, Pin-680702** and a contesting candidate from **10-Thrissur** Parliamentary Constituency of Kerala in General Election to the Lok Sabha, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-PC/2024/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश**नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025**

आ.अ. 27.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **80-फिरोजपुर झिरका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **80-फिरोजपुर झिरका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, नूंह की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री मौहम्मद हासिम** जो **80-फिरोजपुर झिरका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नूंह की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री मौहम्मद हासिम** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री मौहम्मद हासिम** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नूंह को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नूंह से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/744 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री मौहम्मद हासिम** को दिनांक 20.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नूंह ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/744 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री मौहम्मद हासिम** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री मौहम्मद हासिम** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मौहम्मद हासिम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 80-फिरोजपुर झिरका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मौहम्मद हासिम, गांव मौहम्मद नगर, तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./80/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th December, 2025

O.N. 27.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **80-Ferozepur Jhirka** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **80-Ferozepur Jhirka** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the **DEO, Nuh's** report forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mohammad Hashim** a contesting candidate from **80-Ferozepur Jhirka** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Nuh** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mohammad Hashim** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mohammad Hashim** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nuh** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nuh** vide his letter no. Elec-2025/744 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Mohammad Hashim** on 20.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nuh** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/744 dated 10.06.2025 has reported that **Sh. Mohammad Hashim** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Mohammad Hashim** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Mohammad Hashim** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mohammad Hashim, Village Mohammad Nagar, Tehsil Ferozepur Jhirka, District Nuh, Haryana**, a contesting candidate for **80-Ferozepur Jhirka Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/80/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

आ.अ. 28.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में राजस्थान राज्य के **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 2 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **16.01.2024** पत्र सं0 **F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.@433** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री विनय सिकरवार जो **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री विनय सिकरवार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./80/2023/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 28 फरवरी, 2024 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री **विनय सिकरवार** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर से दिनांक 22.03.2024 के पत्र सं0- निर्वा/लोसआचु/ईवीएम/2024/839 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री **विनय सिकरवार** की बहन (**कुमारी माधुरी**) को दिनांक 12.03.2024 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर ने पत्र सं0- प.37/निर्वा/लेखा/2025/120 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री **विनय सिकरवार** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री **विनय सिकरवार** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **विनय सिकरवार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के **80-राजाखेड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री **विनय सिकरवार**, निवासी **बोथपुरा**, तह0 **मनियां**, जिला **धौलपुर**, **राजस्थान**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/राज.-वि.स./80/2023/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th December, 2025

O.N. 28.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **80-Rajakhera** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election

Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **80-Rajakhera** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **2nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Dholpur** report dated **11.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vinay Sikarvar** a contesting candidate from **80-Rajakhera** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Dholpur** a Show-Cause notice No. **76/RJ-LA/80/2023/CEMS-I**, dated **28th February, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vinay Sikarvar** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vinay Sikarvar**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Dholpur** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dholpur** vide his letter no. Ele./LSGE/EVM/2024/839 dated 22.03.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Vinay Sikarvar's Sister (name Kumari Madhuri)**, on dated 12.03.2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dholpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. 37/Elec./Account/2025/120 dated 13.02.2025 has reported that **Sh. Vinay Sikarvar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Vinay Sikarvar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Vinay Sikarvar**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vinay Sikarvar**, residence of **Bothpura, Tehsil Maniya, District Dholpur, Rajasthan**, a contesting candidate from **80-Rajakhera Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/RJ-LA/80/2023/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

आ.अ. 29.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **73-कोसली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 73-कोसली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री लविंद्र सिंह जो 73-कोसली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री लविंद्र सिंह को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री लविंद्र सिंह को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी से दिनांक 16.06.2025 के पत्र सं0-निर्वाचन-2025/711 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री लविंद्र सिंह को दिनांक 20.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री लविंद्र सिंह ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री लविंद्र सिंह ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लविंद्र सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 73-कोसली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लविंद्र सिंह, मकान न. 985, गांव कंवली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./73/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th November, 2025

O.N. 29.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **73-Kosli** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **73-Kosli** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Rewari** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Lavinder Singh** a contesting candidate from **73-Kosli** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Rewari** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Lavinder Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Lavinder Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Rewari** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** vide his letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Lavinder Singh** on 20.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has reported that **Sh. Lavinder Singh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Lavinder Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Lavinder Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Lavinder Singh, House No. 985, Village Kanwali, District Rewari, Haryana**, a contesting candidate from **73-Kosli Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/73/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

आ.अ. 30.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **73-कोसली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **73-कोसली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री नवल सिंह** जो **73-कोसली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री नवल सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री नवल सिंह** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** से दिनांक 16.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री नवल सिंह** को दिनांक 20.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नवल सिंह ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री नवल सिंह ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नवल सिंह अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 73-कोसली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नवल सिंह, मकान न. 89, गांव मंडिया खुर्द, तहसील व जिला रेवाड़ी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./73/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th November, 2025

O.N. 30.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **73-Kosli** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **73-Kosli** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Rewari** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Naval Singh** a contesting candidate from **73-Kosli** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Rewari** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Naval Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Naval Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Rewari** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** vide his letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Naval Singh** on 20.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has reported that **Sh. Naval Singh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Naval Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Naval Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Naval Singh, House No. 89, Village Mandiya Khurd, Tehsil and District Rewari, Haryana**, a contesting candidate from **73-Kosli Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/73/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

आ.अ. 31.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **73-कोसली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **73-कोसली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री **मुकेश कुमार** जो **73-कोसली** विधान

सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री मुकेश कुमार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि./वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री मुकेश कुमार को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी से दिनांक 16.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री मुकेश कुमार को दिनांक 20.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री मुकेश कुमार ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री मुकेश कुमार ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मुकेश कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 73-कोसली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार, गांव व डा0 मन्दौला, जिला रेवाड़ी, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./73/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th November, 2025

O.N. 31.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **73-Kosli** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **73-Kosli** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Rewari** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mukesh Kumar** a contesting candidate from **73-Kosli** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Rewari** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mukesh Kumar** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mukesh Kumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Rewari** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** vide his letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Mukesh Kumar** on 20.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has reported that **Sh. Mukesh Kumar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Mukesh Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Mukesh Kumar** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mukesh Kumar, VPO Mandola, District Rewari, Haryana**, a contesting candidate from **73-Kosli Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/73/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

आ.अ. 32.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **44-रानिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **44-रानिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरसा** की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री लक्की बाल्मिकी** जो हरियाणा राज्य के **44-रानिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री लक्की बाल्मिकी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री लक्की बाल्मिकी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरसा** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरसा** से दिनांक 09.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/321 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री लक्की बाल्मिकी** को दिनांक 08.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरसा** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/550 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री लक्की बाल्मिकी** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री लक्की बाल्मिकी** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लक्की बाल्मिकी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के **44-रानिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लक्की बाल्मिकी, मकान न0 241, मौहल्ला कुमाहरन, वार्ड न0 18, सिरसा, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./44/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2025

O.N. 32.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **44-Rania** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **44-Rania** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Sirsa** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Lucky Balmiki** a contesting candidate from **44-Rania** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Sirsa** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Lucky Balmiki** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Lucky Balmiki** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Sirsa** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sirsa** vide his letter no. Elec-2025/321 dated 09.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Lucky Balmiki** on 08.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sirsa** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/550 dated 24.10.2025 has reported that **Sh. Lucky Balmiki** has not submitted account of election expenses.

Further, after receipt of the said notice, **Sh. Lucky Balmiki** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Lucky Balmiki** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Lucky Balmiki, House No. 241, Mohalla Kumaharan, Ward No. 18, Sirsa, Haryana**, a contesting candidate for **44-Rania Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/44/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

आ.अ. 33.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **85-पृथला** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **85-पृथला** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **फरीदाबाद** की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री मुकेश** जो **85-पृथला** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **फरीदाबाद** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री मुकेश** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री मुकेश को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/1146 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री मुकेश के भतीजे (नाम पियुष कुमार) को दिनांक 17.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/1146 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री मुकेश ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री मुकेश ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मुकेश अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 85-पृथला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मुकेश, मकान न. 1472, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, बल्लबगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121004, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./85/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th January, 2026

O.N. 33.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for 85-Prithla Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **85-Prithla** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the **DEO, Faridabad**'s report forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mukesh** a contesting candidate from **85-Prithla** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Faridabad** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mukesh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mukesh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Faridabad** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Faridabad** vide his letter no. Elec-2025/1146 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Mukesh's Nephew (name Piyush Kumar)** on 17.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Faridabad** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/1146 dated 10.06.2025 has reported that **Sh. Mukesh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Mukesh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Mukesh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mukesh, House No. 1472, Samaypur Road, Rajeev Colony, Ballabgarh, District-Faridabad, Haryana-121004**, a contesting candidate for **85-Prithla Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/85/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

आ.अ. 34.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **16-कलायत** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 16-कलायत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, कैथल की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट जो हरियाणा राज्य के 16-कलायत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कैथल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कैथल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कैथल से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/190 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट के भाई (नाम मंदीप कुमार) को दिनांक 09.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कैथल ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/190 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 16-कलायत विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री संदीप कोटड़ा एडवोकेट, गांव कोटड़ा, तहसील व जिला कैथल, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./16/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th January, 2026

O.N. 34.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **16-Kalayat** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **16-Kalayat** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the **DEO, Kaithal's** report dated **08.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sandeep Kotra Advocate** a contesting candidate from **16-Kalayat** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kaithal** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sandeep Kotra Advocate** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sandeep Kotra Advocate** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kaithal** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kaithal** vide his letter no. Elec-2025/190 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Sandeep Kotra Advocate's brother (name Sh. Mandeep Kumar)** on 09.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kaithal** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/190 dated 10.06.2025 has reported that **Sh. Sandeep Kotra Advocate** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sandeep Kotra Advocate** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sandeep Kotra Advocate** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sandeep Kotra Advocate, Village Kotra, Tehsil & District Kaithal, Haryana**, a contesting candidate for **16-Kalayat Assembly Constituency** of Haryana in General Election

to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/16/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2025

आ.अ. 35.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं0 464/ईपीएस/2024(4) के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य के 38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः पश्चिम बंगाल राज्य के 38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व बर्धमान की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल से दिनांक 19.07.2024 पत्र सं0 4552-Home (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्रीमती शर्मिला सरकार जो पश्चिम बंगाल राज्य के 38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती शर्मिला सरकार को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/WB/PC-38/2024/CEMS-IV दिनांक 17 सितम्बर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती शर्मिला सरकार को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व बर्धमान को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व बर्धमान से दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के पत्र सं0 3129/Elec/LS-24/16 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती शर्मिला सरकार के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व बर्धमान ने पत्र सं0 3129/Elec/LS-24/16 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती शर्मिला सरकार ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्रीमती शर्मिला सरकार ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती शर्मिला सरकार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के साधारण निर्वाचन, 2024 के 38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती शर्मिला सरकार, निवासी साहेबदंगा, द्वारोंडा, उषाहार, डाकघर-दारंडा, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल, पिन-731236 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/WB/PC-38/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2025

O.N. 35.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **West Bengal**, 2024 for **38- Bardhaman Purba (SC) Parliamentary Constituency** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPS/2024(4) dated 18th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer, an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **38- Bardhaman Purba (SC) Parliamentary Constituency** of West Bengal, was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, **Purba Bardhaman** report dated **05.07.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, **West Bengal** vide his letter no. **4552-Home (Elec.) dated 19th July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Sharmila Sarkar**, a contesting candidate from **38- Bardhaman Purba (SC) Parliamentary Constituency** of state of **West Bengal**, has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, **Purba Bardhaman** a Show-Cause notice No. **76/WB/PC-38/2024/CEMS-IV dated 17th September, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Sharmila Sarkar**, for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Sharmila Sarkar**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Purba Bardhaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Purba Bardhaman** vide his letter No. **3129/Elec/LS-24/16** dated **24th October, 2024** it has informed that the notice was served to **Smt. Sharmila Sarkar** on **1st October, 2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Purba Bardhaman** in his Supplementary Report dated 24.10.2024, vide its letter no. **3129/Elec/LS-24/16** dated **24th October, 2024** has reported that **Smt. Sharmila Sarkar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt. Sharmila Sarkar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Sharmila Sarkar**, has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Sharmila Sarkar** resident of **Sahebdanga, Dwaronda, Ushahar, P.O. – Daranda, Dist – Birbhum, West Bengal, Pin - 731236**, a contesting candidate in **38- Bardhaman Purba (SC) Parliamentary Constituency** of General Election to the Lok Sabha of **West Bengal, 2024** to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB/PC-38/2024/CEMS-IV]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2025

आ.अ. 36.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं0 464/ईपीएस/2024(3) के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य के 08-माल्दहा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः पश्चिम बंगाल राज्य के 08-माल्दहा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल से दिनांक 19.07.2024 पत्र सं0 4552-Home (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री अहमद हेदतुल हसन जो पश्चिम बंगाल राज्य के 08-माल्दहा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे है; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अहमद हेदतुल हसन को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/WB/PC-08/2024/CEMS-IV दिनांक 17 सितम्बर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री अहमद हेदतुल हसन को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा से दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के पत्र सं0 945/VIII-9/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री अहमद हेदतुल हसन के द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा ने पत्र सं0 945/VIII-9/Elec दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अहमद हेदतुल हसन ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री अहमद हेदतुल हसन ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अहमद हेदतुल हसन अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के साधारण निर्वाचन, 2024 के 08-माल्दहा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अहमद हेदतुल हसन, निवासी ग्राम-होगलबारी, डाकघर-कंकुरिया, जिला-मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, पिन-742202 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/WB/PC-08/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2025

O.N. 36.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **West Bengal**, 2024 for **08-Maldaha Dakshin Parliamentary Constituency** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(3) dated 12nd April, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer, an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **08-Maldaha Dakshin Parliamentary Constituency** of West Bengal, was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, **Malda** report dated **05.07.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, **West Bengal** vide his letter no. **4552-Home (Elec.) dated 19th July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ahmed Hedatul Hasan**, a contesting candidate from **08-Maldaha Dakshin Parliamentary Constituency** of state of **West Bengal**, has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, **Malda** a Show-Cause notice No. **76/WB/PC-08/2024/CEMS-IV dated 17th September, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ahmed Hedatul Hasan**, for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ahmed Hedatul Hasan**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Malda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Malda** vide his letter No. **945/VIII-9/Elec dated 24th December, 2024** it has informed that the notice was served to **Sh. Ahmed Hedatul Hasan** on **29th November, 2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Malda** in his Supplementary Report, vide its letter no. **945/VIII-9/Elec dated 24th December, 2024** has reported that **Sh. Ahmed Hedatul Hasan** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ahmed Hedatul Hasan** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ahmed Hedatul Hasan**, has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ahmed Hedatul Hasan** resident of **Vill- Hoglabari, P.O. – Kankuria, Dist – Murshidabad, West Bengal, Pin - 742202**, a contesting candidate in **08-Maldaha Dakshin Parliamentary Constituency** of General Election to the Lok Sabha of **West Bengal, 2024** to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB/PC-08/2024/CEMS-IV]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2025

आ.अ. 37.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं0 464/ईपीएस/2024(2) के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य के 06-बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः पश्चिम बंगाल राज्य के 06-बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण दिनाजपुर की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल से दिनांक 19.07.2024 पत्र सं0 4552-Home (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री बख्तियार मुजाहित साहनी जो पश्चिम बंगाल राज्य के 06-बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बख्तियार मुजाहित साहनी को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/WB/PC-06/2024/CEMS-IV दिनांक 17 सितम्बर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री बख्तियार मुजाहित साहनी को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण दिनाजपुर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण दिनाजपुर से दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के पत्र सं0 697/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री बख्तियार मुजाहित साहनी के भाई अमन सोहेल के द्वारा दिनांक 26 सितंबर, 2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण दिनाजपुर ने पत्र सं 0729/Elec. दिनांक 22 नवम्बर, 2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बख्तियार मुजाहित साहनी ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री बख्तियार मुजाहित साहनी ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बख्तियार मुजाहित साहनी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के साधारण निर्वाचन, 2024 के 06-बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री बख्तियार मुजाहित साहनी, निवासी ग्राम-शिवपुर, डाकघर-बंशीहारी, थाना-बंशीहारी, जिला-दक्षिण दिनाजपुर, पिन-733121 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/WB/PC-06/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2025

O.N. 37.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **West Bengal**, 2024 for **06-Balurghat Parliamentary Constituency** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPS/2024(2) dated 28th March, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer, an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **06-Balurghat Parliamentary Constituency** of West Bengal, was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Dakshin Dinajpur report dated **04.07.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, **West Bengal** vide his letter no. **4552-Home (Elec.) dated 19th July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani**, a contesting candidate from **06-Balurghat Parliamentary Constituency** of state of **West Bengal**, has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, **Dakshin Dinajpur** a Show-Cause notice No. **76/WB/PC-06/2024/CEMS-IV dated 17th September, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani**, for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Dakshin Dinajpur** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dakshin Dinajpur** vide his letter No. **697/Elec dated 21st October, 2024** it has informed that the notice was served to **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani's brother name Aman Sohail** on **26th September, 2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Dakshin Dinajpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. **726/Elec. dated 22nd November, 2024** has reported that **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani**, has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bakhtiar Mujahit Sahani** resident of **Vill - Shibpur, P.O. – Banshihari, P.S. – Banshihari, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin – 733121**, a contesting candidate in **06-Balurghat Parliamentary Constituency** of General Election to the Lok Sabha of **West Bengal, 2024** to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB/PC-06/2024/CEMS-IV]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

आ.अ. 38.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/केएल-एलए/2021 के अनुसरण में **101- पूंजार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के **101- पूंजार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक 24.08.2021 के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री एल्बिन मैथ्यू**, जो केरल के साधारण निर्वाचन के **101- पूंजार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री एल्बिन मैथ्यू को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II, दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री एल्बिन मैथ्यू को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल ने अपनी रिपोर्ट संख्या EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 के माध्यम से, आयोग को नोटिस की मूल प्रमाणित प्रति भेजी है, जो उपरोक्त उम्मीदवार को दी गई थी, जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम द्वारा प्रमाणित है;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025, जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 में यह सूचित किया है कि श्री एल्बिन मैथ्यू ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद श्री एल्बिन मैथ्यू ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री एल्बिन मैथ्यू अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 101- पूंजार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री एल्बिन मैथ्यू, निवासी- मुरीनगईल हाउस एडपपड़ी पी ओ भरानंगाणं पिन – 686578 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II/ Pt.-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2025

O.N. 38.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2021 for **101-Poonjar** Assembly Constituency of Kerala was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KL-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **101-Poonjar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of the account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report of the District Election Officer, **Kottayam**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 24.08.2021 stating that **Sh. Albin Mathew**, a contesting candidate from **101-Poonjar** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021 has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Kottayam** a 'Show Cause Notice' No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II, dated 06th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Albin Mathew**, for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Albin Mathew** was directed to submit a representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kottayam** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Kerala, vide his report no. EL1/2/2021-ELEC dated 30.07.2025, has forwarded the Commission the original certified copy of the notice, served to the aforesaid candidate, as certified by the District Election Officer, Kottayam;

WHEREAS, the District Election Officer, **Kottayam** in his Supplementary Report dated 29.07.2025 as forwarded by the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 30.07.2025 on account of the candidate, has reported that **Sh. Albin Mathew** has not submitted any representation or statement of correct account of election expenses. Besides, after receipt of the said notice, **Sh. Albin Mathew** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenditure as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Albin Mathew** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Albin Mathew**, resident of – **Muringayil House Edappady P O Bharananganam Pin – 686578** and a contesting candidate from **101-Poonjar** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II/Pt.-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

आ.अ. 39.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/केएल-एलए / 2021 के अनुसरण में **93- पाला** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के **93- पाला** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक 02.11.2022 के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की रिपोर्ट के अनुसार, श्री एल्बिन मैथ्यू, जो केरल के साधारण निर्वाचन के 93- पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री एल्बिन मैथ्यू को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II, दिनांक 09 फरवरी, 2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री एल्बिन मैथ्यू को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल ने अपनी रिपोर्ट संख्या EL1/2/2021-ELEC दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से, आयोग को नोटिस की मूल प्रमाणित प्रति भेजी है, जो 18.03.2023 को उपरोक्त उम्मीदवार को दी गई थी, जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम द्वारा प्रमाणित है;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन , अधिकारी के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 में यह सूचित किया है कि श्री एल्बिन मैथ्यू ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद श्री एल्बिन मैथ्यू ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(ग) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(घ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री एल्बिन मैथ्यू अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, में क के अनुसरण 10 की धारा 1951, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 93- पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री एल्बिन मैथ्यू, निवासी -मुरीनगईल हाउस एडपपड़ी पी ओ भरानंगाणं पिन – 686578 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा अथवा - विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II/ Pt.-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2025

O.N. 39.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2021 for **93-Pala** Assembly Constituency of Kerala was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KL-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **93-Pala** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of the account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report of the District Election Officer, **Kottayam**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 02.11.2022 stating that **Sh. Albin Mathew**, a contesting candidate from **93-Pala** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021 has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Kottayam** a ‘Show Cause Notice’ No. 76/KL-LA/93/2021/CEMS-II, dated 09th February, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Albin Mathew**, for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Albin Mathew** was directed to submit a representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kottayam** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Kerala in his reports vide no. EL1/2/2021-ELEC; dated 03.11.2023 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to the candidate **Sh. Albin Mathew** on **18.03.2023**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kottayam** in his Supplementary Report dated 29.07.2025 as forwarded by the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 30.07.2025 on account of the candidate, has reported that **Sh. Albin Mathew** has not submitted any representation or statement of correct account of election expenses. Besides, after receipt of the said notice, **Sh. Albin Mathew** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenditure as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Albin Mathew** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Albin Mathew**, resident of – **Muringayil House Edappady P O Bharananganam Pin – 686578** and a contesting candidate from **93-Pala** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II/Pt.-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

आ.अ. 40.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं 464/केएल-एलए/2021 के अनुसरण में 96- एट्टुमानूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के 96-एट्टुमानूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक 24.08.2021 के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की रिपोर्ट के अनुसार, श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम, जो केरल के साधारण निर्वाचन के 96- एट्टुमानूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II, दिनांक 06 अक्तुबर, 2021 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल ने अपनी रिपोर्ट संख्या EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.के 2025 माध्यम से, आयोग को नोटिस की मूल प्रमाणित प्रति भेजी है, जो 17.11. को उपरोक्त उम्मीदवार को 2021 दी गई थी, जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टायम द्वारा प्रमाणित है;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025, जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 में यह सूचित किया है कि श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 96- एट्टुमानूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री चार्ली थॉमस पनिक्कारिदम, निवासी- पनिक्कारिदम हाउस, अर्पपूक्कर पूर्वी पी. ओ., कोट्टायम जिला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस- II Pt.-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2025

O.N. 40.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2021 for **96-Ettumanoor** Assembly Constituency of Kerala was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KL-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **96-Ettumanoor** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of the account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report of the District Election Officer, **Kottayam**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 24.08.2021 stating that **Sh. Charley Thomas Panickaridam**, a contesting candidate from **96-Ettumanoor** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021 has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Kottayam** a 'Show Cause Notice' No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II, dated 06th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Charley Thomas Panickaridam**, for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Charley Thomas Panickaridam** was directed to submit a representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and

also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kottayam** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Kerala, vide his report no. EL1/2/2021-ELEC dated 30.07.2025, has forwarded to the Commission the original certified copy of the notice, which was served to the aforesaid candidate on 17.11.2021, as certified by the District Election Officer, Kottayam;

WHEREAS, the District Election Officer, **Kottayam** in his Supplementary Report dated 29.07.2025 as forwarded by the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 30.07.2025 on account of the candidate, has reported that **Sh. Charley Thomas Panickaridam** has not submitted any representation or statement of correct account of election expenses. Besides, after receipt of the said notice, **Sh. Charley Thomas Panickaridam** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenditure as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(c) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(d) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Charley Thomas Panickaridam** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Charley Thomas Panickaridam**, resident of – **Panickaridam House, Arppookkara East P O, Kottayam District** and a contesting candidate from **96-Ettumanoor** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II/Pt.-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

आ.अ. 41.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/केएल-एलए/2021 के अनुसरण में 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक 24.08.2021 के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की रिपोर्ट के अनुसार, श्री श्रीकुमार चक्कला, जो केरल के साधारण निर्वाचन के 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री श्रीकुमार चक्कला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II, दिनांक 06 अक्तुबर, 2021 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री श्रीकुमार चक्कला को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल ने अपनी रिपोर्ट संख्या EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 के माध्यम से, आयोग को नोटिस की मूल प्रमाणित प्रति भेजी है, जो उपरोक्त उम्मीदवार को दी गई थी, जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम द्वारा प्रमाणित है;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025, जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 में यह सूचित किया है कि श्री श्रीकुमार चक्कला ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद श्री श्रीकुमार चक्कला ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्रीकुमार चक्कला अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, के अनुसरण में 10 की धारा 1951, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 97कोट्टयम - विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री श्रीकुमार चक्कला, निवासी - चक्कलनारंपू.ओ.डु पीछन्ननिक्क, चोजहीवक्कुकोट्टयम जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा - अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस- II/ Pt.-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2025

O. N. 41.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2021 for **97-Kottayam** Assembly Constituency of Kerala was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KL-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **97-Kottayam** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of the account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report of the District Election Officer, **Kottayam**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 24.08.2021 stating that **Sh. Sreekumar Chakkala**, a contesting candidate from **97-Kottayam** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021 has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Kottayam** a ‘Show Cause Notice’ No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II, dated 06th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sreekumar Chakkala**, for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sreekumar Chakkala** was directed to submit a representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and

also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kottayam** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Kerala, vide his report no. EL1/2/2021-ELEC dated 30.07.2025, has forwarded to the Commission the original certified copy of the notice, which was served to the aforesaid candidate, as certified by the District Election Officer, Kottayam;

WHEREAS, the District Election Officer, **Kottayam** in his Supplementary Report dated 29.07.2025 as forwarded by the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 30.07.2025 on account of the candidate, has reported that **Sh. Sreekumar Chakkala** has not submitted any representation or statement of correct account of election expenses. Besides, after receipt of the said notice, **Sh. Sreekumar Chakkala** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenditure as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sreekumar Chakkala** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sreekumar Chakkala**, resident of – **Chakkalanarampu, Channanikkadu P.O. Chozhivakkadu, Kottayam** and a contesting candidate from **97-Kottayam** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II/Pt.-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

आ.अ. 42.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/केएल-एलए/2021 के अनुसरण में 100 – कांजिराप्पल्लि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के 100 – कांजिराप्पल्लि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक **24.08.2021** के पत्र सं. **EL1/2/2021-ELEC** के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की रिपोर्ट के अनुसार, श्री आशिक एम. एम. जो केरल के साधारण निर्वाचन के **100 – कांजिराप्पल्लि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री आशिक एम. एम. को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II, दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री आशिक एम. एम. को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल ने अपनी रिपोर्ट संख्या **EL1/2/2021-ELEC** दिनांक **30.07.2025** के माध्यम से, आयोग को नोटिस की मूल प्रमाणित प्रति भेजी है, जो उपरोक्त उम्मीदवार को दी गई थी, जोकि जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम द्वारा प्रमाणित है;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025, जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. **EL1/2/2021-ELEC** दिनांक **30.07.2025** में यह सूचित किया है कि श्री आशिक एम. एम. ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद श्री आशिक एम. एम. ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आशिक एम. एम. अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 100 – कांजिराप्पल्लि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से

निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री आशिक एम. एम., निवासी- मंगलाथू अनिक्कडु पी.ओ. इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस- II/ Pt.-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2025

O.N. 42.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2021 for **100-Kanjirappally** Assembly Constituency of Kerala was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KL-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **100-Kanjirappally** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of the account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report of the District Election Officer, **Kottayam**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 24.08.2021 stating that **Sh. Ashik M. M.**, a contesting candidate from **100-Kanjirappally** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021 has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Kottayam** a 'Show Cause Notice' No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II, dated 06th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ashik M. M.**, for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ashik M. M.** was directed to submit a representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and

also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kottayam** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Kerala, vide his report no. EL1/2/2021-ELEC dated 30.07.2025, has forwarded to the Commission the original certified copy of the notice, which was served to the aforesaid candidate, as certified by the District Election Officer, Kottayam;

WHEREAS, the District Election Officer, **Kottayam** in his Supplementary Report dated 29.07.2025 as forwarded by the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 30.07.2025 on account of the candidate, has reported that **Sh. Ashik M. M.** has not submitted any representation or statement of correct account of election expenses. Besides, after receipt of the said notice, **Sh. Ashik M. M.** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenditure as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ashik M. M.** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ashik M. M.**, resident of – **Mangalathu Anickadu P.O.** and a contesting candidate from **100-Kanjirappally** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II/Pt.-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

आ.अ. 43.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/केएल-एलए/2021 के अनुसरण में 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, केरल के 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल से उनके दिनांक 02.11.2022 के पत्र सं. **EL1/2/2021-ELEC** के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की दिनांक 30.09.2022 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री अरुण मंगात्तू, जो केरल के साधारण निर्वाचन के 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अरुण मंगात्तू को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस-II, दिनांक 15 फ़रवरी, 2023 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अरुण मंगात्तू को लेखा यथा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे से संबंधित अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल ने अपनी रिपोर्ट संख्या EL1/2/2021-ELEC दिनांक 03.11.के 2023 माध्यम से, आयोग को नोटिस की मूल पावती भेजी है, जो उपरोक्त उम्मीदवार श्री अरुण मंगात्तू को 09.03.2023 को दी गई थी;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोट्टयम ने अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025 , जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्रसं .EL1/2/2021-ELEC दिनांक 30.07.2025 के द्वारा अग्रेषित, में यह सूचित किया है कि श्री अरुण मंगात्तू ने यथा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई अभ्यावेदन तथा अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद श्री अरुण मंगात्तू ने विधि के तहत यथा निर्धारित रीति से लेखे को दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

““ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अरुण मंगात्तू अपने निर्वाचन व्यय के लेखे यथा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 97- कोट्टयम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री अरुण मंगात्तू, निवासी- मंगात्तू, वेलूर पी. ओ., इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केएल-एलए/2021/सीईएमएस- II / Pt.-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2025

O.N. 43.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2021 for **97-Kottayam** Assembly Constituency of Kerala was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KL-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **97-Kottayam** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of the account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 30.09.2022 of the District Election Officer, **Kottayam**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 02.11.2022 stating that **Sh. Arun Mangattu**, a contesting candidate from **97-Kottayam** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021 has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Kottayam** a 'Show Cause Notice' No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II, dated 15th February, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Arun Mangattu.**, for not lodging the account of Election Expenses in the manner; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Arun Mangattu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account in the manner and also to submit the requisite vouchers of election expenses with the District Election Officer, **Kottayam** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Kerala, vide its letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 03.11.2023, has forwarded the original acknowledgement of the 'Show Cause Notice' served to **Sh. Arun Mangattu** on 09.03.2023; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kottayam** in his Supplementary Report dated 29.07.2025 as forwarded by the Chief Electoral Officer, Kerala vide his letter no. EL1/2/2021-ELEC; dated 30.07.2025 on account of the candidate, has reported that **Sh. Arun Mangattu** has not submitted any representation or requisite vouchers in respect of election expenses. Besides, after receipt of the said notice, **Sh. Arun Mangattu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of election expenditure in the manner as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Arun Mangattu** has failed to lodge his account of election expenses in the manner and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Arun Mangattu** resident of – **Mangattu, Velloor P.O, Kottayam** and a contesting candidate from **97-Kottayam** Assembly Constituency of Kerala in General Election to the Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KL-LA/2021/CEMS-II/Pt.-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

आ.अ. 44.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 100/हि.प्र.-वि.स./7/2024 दिनांक 14 जून, 2024 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 10-देहरा के लिए उप चुनाव, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश के 10-देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 अगस्त, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से उनके दिनांक 21.09.2024 के पत्र सं. 3-1/2024-ELN-EEM-IX-8462, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा की दिनांक 12.08.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट संजय शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश के 10-देहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत एडवोकेट संजय शर्मा को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/HP-LA/10/2024/सीईएमएस-I(Bye), दिनांक 12.11.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, एडवोकेट संजय शर्मा को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस एडवोकेट संजय शर्मा को दिनांक 26.11.2024 को ई-मेल के माध्यम से तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या 3-D/S (ELN)-3/2025-577, दिनांक 17.02.2026 के द्वारा सूचित किया है कि एडवोकेट संजय शर्मा ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, एडवोकेट संजय शर्मा द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि एडवोकेट संजय शर्मा अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के 10-देहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी,

एडवोकेट संजय शर्मा, निवासी- गांव व डा0 समकर-धमेटा, त0 फतेहपुर, जि0 कांगडा, हि0 प्र0, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हि0 प्र0-वि.स./10/2024/सीईएमएस-I (उप0)]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2026

O.N. 44.—WHEREAS, the Bye-election to **10-Dehra** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2024, was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **100/HP-LA/7/2024**, dated **14th June, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the Bye-election for **10-Dehra** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2024 was declared by the Returning Officer on 13th July, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th August, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 12.08.2024 of **DEO, Kangra** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Himachal Pradesh vide his letter no. 3-1/2024-ELN-EEM-IX-8462, dated 21.09.2024 stating that **Advocate Sanjay Sharma**, a contesting candidate from Bye-election for **10-Dehra** Assembly Constituency of state of Himachal Pradesh has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/HP-LA/10/2024/CEMS-I(Bye), dated 12th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Advocate Sanjay Sharma**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Advocate Sanjay Sharma** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Kangra** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Kangra** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Advocate Sanjay Sharma** through e-mail on date **26.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kangra** in his Supplementary Report no. 3-D/S (ELN)-3/2025-577; dated 17.02.2026 has reported that **Advocate Sanjay Sharma** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Advocate Sanjay Sharma** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Advocate Sanjay Sharma** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Advocate Sanjay Sharma**, resident of **Village & Post Office Samkar-Dhameta, Tehsil Fatehpur, District Kangra, Himachal Pradesh-176025** and a contesting candidate from Bye-election for **10-Dehra** Assembly Constituency of State of Himachal Pradesh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HP-LA/10/2024/CEMS-I(Bye)]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

आ.अ. 45.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 100/हि.प्र.-वि.स./7/2024 दिनांक 14 जून, 2024 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, **10-देहरा** के लिए उप चुनाव, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश के 10-देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 अगस्त, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से उनके दिनांक 21.09.2024 के पत्र सं. **3-1/2024-ELN-EEM-IX-8462**, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा की दिनांक 12.08.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **सुश्री सुलेखा चौधरी**, जो हिमाचल प्रदेश के 10-देहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं, क्योंकि **सुश्री सुलेखा चौधरी** ने चुनाव व्यय के वाउचर प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **सुश्री सुलेखा चौधरी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे यथा अपेक्षित विधि के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/HP-LA/10/2024/सीईएमएस-I (Bye), दिनांक 12.11.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **सुश्री सुलेखा चौधरी** को लेखा यथा अपेक्षित विधि के अंतर्गत दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा जिला को अपने निर्वाचन व्यय के वाउचर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **सुश्री सुलेखा चौधरी** को दिनांक 05.03.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगडा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या 3-D/S (ELN)-3/2025-203, दिनांक 19.01.2026 के द्वारा सूचित किया है कि **सुश्री सुलेखा चौधरी** ने विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का

लेखा दाखिल नहीं किया है, क्योंकि सुश्री सुलेखा चौधरी ने चुनाव व्यय के वाउचर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, सुश्री सुलेखा चौधरी द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री सुलेखा चौधरी विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के **10-देहरा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, सुश्री सुलेखा चौधरी, निवासी- गांव व डाकघर करियाडा, त0 देहरा, जि0 कांगडा, हि0 प्र0, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हि0 प्र0-वि.स./10/2024/सीईएमएस- I (उप0)]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2026

O.N. 45.—WHEREAS, the Bye-election to **10-Dehra** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2024, was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **100/HP-LA/7/2024**, dated **14th June, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the Bye-election for **10-Dehra** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2024 was declared by the Returning Officer on 13th July, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th August, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 12.08.2024 of **DEO, Kangra** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Himachal Pradesh vide his letter no. 3-1/2024-ELN-EEM-IX-8462, dated 21.09.2024 stating that **Ms. Sulekha Choudhary**, a contesting candidate from Bye-election for **10-Dehra** Assembly Constituency of state of Himachal Pradesh has failed to lodge the account of her election expenses in the manner required as she failed to submit vouchers of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/HP-LA/10/2024/CEMS-I(Bye), dated 12th November, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ms. Sulekha Choudhary**, for not lodging of the account of Election Expenses in the manner required; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ms. Sulekha Choudhary** was directed to submit representation in writing to the Commission

explaining the reasons for not lodging the account in the manner required and also to lodge the vouchers of her election expenses with the District Election Officer, **Kangra** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Kangra** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Ms. Sulekha Choudhary** on **05.03.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kangra** in his Supplementary Report no. 3-D/S (ELN)-3/2025-203; dated 19.01.2026 has reported that **Ms. Sulekha Choudhary** has not submitted the account of her election expenses in the manner required as she failed to submit vouchers of election expenses, as required under law. Further, after receipt of the said notice, **Ms. Sulekha Choudhary** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of her election expenses in the manner as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Ms. Sulekha Choudhary** has failed to lodge the account of her election expenses in the manner required and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Sulekha Choudhary**, resident of **Village and Post Office Kariara, Tehsil Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh** and a contesting candidate from Bye-election for **10-Dehra** Assembly Constituency of State of Himachal Pradesh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HP-LA/10/2024/CEMS-I(Bye)]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

आ.अ. 46.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 100/PB-LA/1/2024 दिनांक 14 जून, 2024 के अनुसरण में पंजाब के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 34-जालन्धर पश्चिम (अ0जा0) के लिए उप चुनाव, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, पंजाब के 34-जालन्धर पश्चिम (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 अगस्त, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 23.08.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-8045, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी,

जालन्धर की दिनांक 13.08.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सुश्री सुरजीत कौर, जो पंजाब के 34-जालन्धर पश्चिम (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालन्धर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत सुश्री सुरजीत कौर को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LA/34/2024/सीईएमएस-I(Bye), दिनांक 18.09.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, सुश्री सुरजीत कौर को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जालन्धर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालन्धर ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री सुरजीत कौर के निवास पर दिनांक 21.02.2026 को चशपा किया गया था; और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालन्धर ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या Elec-2026/487, दिनांक 27.03.2026 के द्वारा सूचित किया है कि सुश्री सुरजीत कौर ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस मिलने के , ,उपरांत सुश्री सुरजीत कौर द्वारा विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत - निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि ,सुश्री सुरजीत कौर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पंजाब के 34-जालन्धर पश्चिम (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, सुश्री सुरजीत कौर, निवासी- मकान सं. 850, बस्ती मिट्टू, जालंधर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/पंजा0.-वि.स./34/2024/सीईएमएस- I (उप0)]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2026

O.N. 46.—WHEREAS, the Bye-election to **34-Jalandhar West (SC)** Assembly Constituency of Punjab, 2024, was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **100/PB-LA/1/2024**, dated **14th June, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the Bye-election for **34-Jalandhar West (SC)** Assembly Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 13th July, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th August, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 13.08.2024 of **DEO, Jalandhar** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-8045, dated 23.08.2024 stating that **Ms. Surjit Kaur**, a contesting candidate from Bye-election for **34-Jalandhar West (SC)** Assembly Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/PB-LA/34/2024/CEMS-I(Bye), dated 18th September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ms. Surjit Kaur**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ms. Surjit Kaur** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of her election expenses with the District Election Officer, **Jalandhar** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Jalandhar** has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was affixed on the address of **Ms. Surjit Kaur** on **21.02.2026**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalandhar** in his Supplementary Report no. Elec-2026/487; dated 27.03.2026 has reported that **Ms. Surjit Kaur** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ms. Surjit Kaur** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Ms. Surjit Kaur** has failed to lodge the account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Surjit Kaur**, resident of **H.No. 850, Basti Mithu, Jalandhar** and a contesting candidate from Bye-election for **34- Jalandhar West (SC)** Assembly Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/PB-LA/34/2024/CEMS-I(Bye)]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

आ.अ. 47.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.04.2024 की अधिसूचना सं0 आ.अ. 114(अ) के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **6-सोनीपत** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **6-सोनीपत** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सोनीपत** की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.08.2024 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री उमेश कुमार** जो हरियाणा राज्य के **6-सोनीपत** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सोनीपत** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री उमेश कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/लो.स./6/2024/सी.ई.एम.एस.-1**, दिनांक: **8 जनवरी, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री उमेश कुमार** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **सोनीपत** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सोनीपत** से दिनांक 11.03.2026 के पत्र सं0- निर्वाचन-2026/344 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री उमेश कुमार** को दिनांक 09.02.2026 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सोनीपत** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/344 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री उमेश कुमार** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री उमेश कुमार** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमेश कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 6-सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री उमेश कुमार, 293ए/4, जीन्द रोड़, गोहाना, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-लो.स./6/2024/सी.ई.एम.एस.- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2026

O.N. 47.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Haryana, 2024 for **6-Sonipat** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. O.N. 114(E), dated 29th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **6-Sonipat** Parliamentary Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Sonipat** dated 30.07.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 dated 05.08.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Umesh Kumar** a contesting candidate from **6-Sonipat** Parliamentary Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Sonipat** a Show-Cause notice No. **76/HR-LS/6/2024/CEMS-I**, dated **8th January, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Umesh Kumar** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Umesh Kumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Sonipat** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sonipat** vide his letter no. Election-2026/344 dated 11.03.2026 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Umesh Kumar**, on 09.02.2026; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sonipat** in his Supplementary Report, vide its letter no. Election-2026/344 dated 11.03.2026 has reported that **Sh. Umesh Kumar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Umesh Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Umesh Kumar** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Umesh Kumar, 293-A/4, Jind Road, Gohana, Haryana**, a contesting candidate for **6-Sonipat Parliamentary Constituency** of Haryana in General Election to Lok Sabha, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LS/6/2024/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

आ.अ. 48.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा0नि0आ0/दिल्ली-वि0स0/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 24-पटेल नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 24-पटेल नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री अशोक कुमार**, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 24-पटेल नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री अशोक कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-I, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री अशोक कुमार** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री अशोक कुमार को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री अशोक कुमार ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री अशोक कुमार द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 24-पटेल नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अशोक कुमार, निवासी- मकान संख्या टी-516/2, बुद्ध मंदिर के पास, बलजीत नगर, दिल्ली, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/दिल्ली-वि0स0/24/2025/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

O.N. 48.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **24-Patel Nagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10th January, 2025; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **24-Patel Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8th February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th March, 2025; and

WHEREAS, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Ashok Kumar**, a contesting candidate from **24-Patel Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-I, dated 29th April, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ashok Kumar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ashok Kumar**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was served to **Sh. Ashok Kumar**, on dated 07.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Ashok Kumar**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ashok Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ashok Kumar**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ashok Kumar, R/o House No. T-516/2, Near Budh Mandir, Baljit Nagar, Delhi** and a contesting candidate from **24-Patel Nagar** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/DL-LA/24/2025/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

आ.अ. 49.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा०नि०आ०/दिल्ली-वि०स०/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री हैदर अली, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री हैदर अली को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-1, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री हैदर अली को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री हैदर अली को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री हैदर अली ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री हैदर अली द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हैदर अली अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री हैदर अली, निवासी- डी. एस. अंध महाविद्यालय, पी के रोड, नई दिल्ली, जी पी ओ सेंट्रल, दिल्ली-110001, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/दिल्ली-वि0स0/40/2025/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

O.N. 49.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **40-New Delhi** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10th January, 2025; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8th February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th March, 2025; and

WHEREAS, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Haidar Ali**, a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-I**, dated **29th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Haidar Ali**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Haidar Ali**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Haidar Ali**, on dated **07.05.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Haidar Ali**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Haidar Ali** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Haidar Ali**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Haidar Ali, R/o D.S. Andh Mahavidhyalaya, P.K. Road, New Delhi, GPO Central, Delhi-110001** and a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/DL-LA/40/2025/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

आ.अ. 50.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा0नि0आ0/दिल्ली-वि0स0/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 39-राजेन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 39-राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री उमंग, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 39-राजेन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री उमंग को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-I, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री उमंग को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री उमंग को दिनांक 15.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री उमंग ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री उमंग द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमंग अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के **39-राजेन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री उमंग**, निवासी- 1-एन, ए -ब्लाक, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/दिल्ली-वि0स0/39/2025/सीईएमएस-1]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

O.N. 50.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10th January, 2025; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8th February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th March, 2025; and

WHEREAS, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. **CEO/COE/102(121)/2024/1637** dated 26.03.2025, **Sh. Umang**, a contesting candidate from **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-I**, dated **29th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Umang**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Umang**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Umang**, on dated **15.05.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Umang**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Umang** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Umang**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Umang, R/o 1-N, A Block, Vishnu Garden, New Delhi-110018** and a contesting candidate from **39-Rajinder** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/DL-LA/39/2025/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

आ.अ. 51.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा0नि0आ0/दिल्ली-वि0स0/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री विरेन्द्र, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री विरेन्द्र को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-I, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री विरेन्द्र को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री विरेन्द्र को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री विरेन्द्र ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री विरेन्द्र द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विरेन्द्र अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री विरेन्द्र, निवासी- ए-302, भूतल, ए-ब्लॉक, खानपुर, जे जे कॉलोनी, डॉ अंबेडकर नगर, नई दिल्ली- 110062, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/दिल्ली-वि0स0/40/2025/सीईएमएस- I]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

O.N. 51.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **40-New Delhi** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10th January, 2025; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8th February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th March, 2025; and

WHEREAS, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Virender**, a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a ‘Show-Cause Notice’ No. 76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-I, dated 29th April, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Virender**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said ‘Show Cause Notice’ and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Virender**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said ‘Show Cause Notice’ was served to **Sh. Virender**, on dated 07.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Virender**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Virender** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Virender**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Virender, R/o A-302, Ground Floor, A-Block, Khanpur, JJ Colony, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062** and a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/DL-LA/40/2025/CEMS-I]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.